झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–395 / 2019

उपेंद्र नारायण उरांव ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची
3. महालेखाकार, झारखंड ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री धनंजय कुमार दुबे, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री राहुल गुप्ता, वरिष्ठ एस0सी0–I

डॉ0 ए0के0 सिंह, अमृता कुमारी, अधिवक्तागण

03 / 06.09.2019 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5937 / 2017 की पुनःस्थापन प्रार्थना की, जिसे निर्धारित समय के भीतर शेष त्रुटियों को दूर करने में विफल रहने पर दिनांक 26.09.2017 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आदेश मुकदमों के समूह में पारित किया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आदेश के प्रभावी भाग पर ध्यान नहीं दे सके और रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को निर्धारित समय के भीतर नहीं दूर किया

जा सका। हालांकि याचिकाकर्ता का कोई दोष नहीं है, वह अपूरणीय रूप से पीड़ित होगा क्योंकि दावा सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित है।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते।

4. पक्षकारों के विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण और आग्रह किए गए आधारों पर विचार करने के बाद रिट याचिका (एस0) संख्या 5937/2017 को मूल फाइल में बहाल किया जाए।

5. बचे हुए त्रुटियों को, यदि कोई हो, दो सप्ताह की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। कार्यालय सत्यापित करे।

6. इस प्रकार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)